न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती

दिनांक	फर्द अहकाम	
14.06.18	पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प ग्रा.पं. भीलापाड़ा में पेश हुई। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित आये। वादी ने अपने पक्ष में शपथपूर्वक बयान पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण ने जिरह की। पत्रावली में वादी एवं प्रतिवादीगण को सुना जाकर एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर व सुसंगत विधि को देखा जाकर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 RTACT. डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी सं. 1 व 2 बाबत स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण स. 1 व 2 को जरिये चिरस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित ख.नं. 1174 रकवा 0.10 हे., 1175 रकवा 0.05 हे. 1184 रकवा 0.15 हे. ग्राम भीलापाड़ा में वादी के कब्जेकाश्त उपभोग-उपयोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं पैदा करे ना ही किसी अन्य से करावे। एवं किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल वाद रहे। पत्रावली फैसल शुमार मानी जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। महेन्द्रसिंह यादव उपखण्ड अधिकारी कैम्प कोर्ट ग्रा.पं. भीलापाड़ा	धर्मसिंह [signature] हरिओम